संख्या–34 /2022–सीएक्स–3

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त/अपर पुलिस महानिदेशक, समस्त जोन, उत्तर प्रदेश।
2. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर/कानपुर नगर/वाराणसी।
3. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, रेंज, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

गृह (गोपन) अनुभाग–3 **लखनऊः दिनांकः 05 जनवरी, 2022**

विषयः–कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु ग्रेडेड रिस्पान्स के संबंध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

कृपया कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु ग्रेडेड रिस्पान्स के संबंध में गृह (गोपन) अनुभाग–3 के आदेश संख्या–15/2021–सीएक्स–3, दिनांक 04.01.2022 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के कम में निम्नवत् निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

(1) कक्षा–10 तक के सभी शैक्षणिक संस्थान दिनांक 06.01.2022 से 16.01.2022 तक पूर्णतया बन्द रहेंगे, परन्तु शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आन लाइन कक्षायें जारी रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) कक्षा–11 एवं 12 की आन लाइन कक्षायें चलेंगी एवं 15 वर्ष से 18 वर्ष तक के छात्रों को विद्यालयों में वैक्सीनेशन कैम्प लगवाकर टीकाकरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। टीकाकरण हेतु छात्रों को विद्यालय आने की अनुमति होगी।

(3) प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केन्द्र बन्द रहेंगे परन्तु बच्चों को अनुपूरक पुष्टाहार सामग्री उनके आवास पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

कृपया उपरोक्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–34 (1)/2022–सीएक्स–3 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन
(3) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
(5) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव